

हमारा संविधान



संविधान जागरूकता अभियान

संविधान का जन्म लोगों की इच्छा से हुआ था!
संविधान ने हमें इंसान के रूप में मान्यता दी...
संविधान ने हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा दिया...
संविधान ने हमें न्याय और सामाजिक न्याय दिया...
संविधान ने टूटे हुए धागों से एक सुंदर परिधान बुना है...
हम संविधान के ऋणी हैं...
हम संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं...
संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर ये हमारी प्रतिज्ञा है...

प्रकाशक:

संविधान जागरूकता अभियान

(मा. न्या. बी. जी. कोळसे पाटील, तुषार गांधी, डॉ. राम पुनियानी, डॉ. नितीन राऊत,
मा. न्या. अभय ठिपसे, मा. न्या. तानाजी नलावडे, धनाजी गुरव, नीरज जैन)

संपर्क पता: 15, गार्डन लेआऊट, बेझॉनबाग, नागपूर, महाराष्ट्र – 440 014

मुद्रक: आर.एस. प्रिंटर्स, 455, शनिवार पेठ, पुणे – 411 030

 samvidhanjagar.org

☎ स्वप्निल फुसे: 79723 45764

☎ नागार्जुन वाडेकर: 98602 39899

☎ राजाभाऊ करवाडे: 98222 02739

सामाजिक विषयों पर
जानकारी प्राप्त करने के
लिए व्हाट्सएप क्यूआर
कोड को स्कैन करें!



योगदान ₹ 15/-

हम सब भारतीय हैं।

भारत हमारा घर है।

हम यहीं रहते हैं. परवरिश पाते हैं, काम करते हैं, पढ़ते और खेलते हैं।

यहीं पर हम हमारे सपने बुनते हैं और साकार करते हैं। सभी भारतीय एक परिवार हैं।

हम एक दूसरे से जुड़े हैं और अंतर्निर्भर हैं।

हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है।



भारत

हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

देश को हम किस दिशा में लेकर जाएं?

हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं?

विधायिका, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया जैसी विभिन्न संस्थाओं को कैसे कार्य करना चाहिए?

इन सभी सवालों के जवाब संविधान देता है।




संविधान भारत
का सर्वोच्च विधान है।

हमारे अतीत के सबसे अच्छे और खूबसूरत विचार हमारे संविधान में आए हैं।



हमारा संविधान भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, महात्मा बसवन्ना, संत नामदेव, संत रविदास, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत तुकडोजी महाराज, संत गाडगेबाबा, स्वामी विवेकानन्द जैसे महान संतों के स्वतंत्रता-समानता-बंधुत्व के क्रांतिकारी विचारों से समृद्ध हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज और कई अन्य समाज सुधारकों ने इन मूल्यों को आत्मसात किया और समाज में फैलाया।

अनेक समाज सुधारकों ने इन मूल्यों का समाज में प्रसार किया। इन्हीं मूल्यों ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, भगत सिंह और कई अन्य नेताओं के नेतृत्व में हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया।




हमारा स्वतंत्रता संग्राम था:

एक सामाजिक क्रांति

गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और महिलाओं – दलितों – आदिवासियों – वंचितों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने के लिए

एक आंदोलन

हर दमित दलित को सशक्त और स्वाधीन बनाने के लिए



एक साझा क्रांति

विशाल विविधताओं वाले देश को एकजुट रखने के लिए

एक शांतिपूर्ण क्रांति

हिंसा और घृणा के बिना बदलाव लाने के लिए

संविधान किसने बनाया?

संविधान सभा ने, जिसके **299 सदस्य**

भारतीय समाज के हर क्षेत्र, धर्म, वर्ग, भाषा और संस्कृति से थे.

संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक काम किया।



अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद

प्रारूप समिति के अध्यक्ष: डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर

स्वतंत्रता दिवस – 15 अगस्त 1947

हम अपना भविष्य तय करने के लिए आज़ाद हुए।

गणतंत्र दिवस – 26 जनवरी 1950

हमने संविधान अपनाया और
हमारे भविष्य की दिशा तय की।

संविधान की आत्मा: प्रस्तावना

हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए,

तथा उसके समस्त नागरिकों को

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,

धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सबमें

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता

और अखंडता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख २६
नवंबर, १९४९ ई., मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत् दो हजार
छह विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

हम, भारत के लोग

हम, भारत के
लोग यह
संविधान स्वयं
को सौंपते हैं;

इसके बनाने में हर
भारतीय की
हिस्सेदारी है;



इस पर
प्रत्येक भारतीय
का समान
अधिकार है;

चाहे वह
किसी भी
उम्र, धर्म, जाति,
लिंग, क्षेत्र, भाषा,
अमीर या गरीब
आर्थिक स्तर का हो।



प्रभुत्व संपन्न

हम स्वयं अपने देश के भविष्य का निर्माण करेंगे,
कोई विदेशी ताकत, राजा, या धार्मिक ग्रंथ नहीं।

हम अपने देश के मालिक हैं;



हम सभी मिलकर सरकार चुनते हैं,
जिसका काम लोगों की सेवा करना है।

समाजवाद

देश की जल, जंगल, जमीन
पर सभी भारतीयों का समान हक है।
वह कुछ हाथों में केंद्रित नहीं होनी चाहिए।



हमारी इस साझा संपत्ति का उपयोग सभी के
कल्याण के लिए होना चाहिए, विशेषकर सबसे
गरीब हाशिए पर खड़े लोगों के लिए।

धर्मनिरपेक्ष



हर भारतीय अपनी पसंद का धर्म चुनने के लिए या कोई भी धर्म न चुनने के लिए स्वतंत्र है। सरकार सभी धर्मों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करेगी।

लोकतंत्र

‘एक व्यक्ति – एक वोट, एक वोट – एक मूल्य’

के आधार पर सब निर्णय लिए जाते हैं।


लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो उनकी ओर से निर्णय लेते हैं।



भारत दुनिया का पहला देश है जिसने
संविधान अपनाने के साथ ही महिलाओं
सहित सभी वयस्क नागरिकों को
मतदान का अधिकार दिया।

राजनीतिक न्याय

लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।



‘हमारा गांव, हमारा शासन’

के सिद्धांत पर स्थानीय स्वशासन निकाय स्थापित किये गये।



आर्थिक न्याय

सरकार को प्रयास करने चाहिए:

कि सभी को
सम्मानजनक
रोजगार मिले।



समतामूलक
समाज
का निर्माण हो।

सभी नागरिकों को
समुचित स्वास्थ्य सेवा और
पोषण उपलब्ध हो।



सभी बच्चों को
समान और
अच्छी शिक्षा मिले।

सामाजिक न्याय

महिलाओं को पुरुषों के समान
अधिकार – आजीविका
और समान वेतन का।



दलितों, आदिवासियों, खानाबदोशों और अन्य
पिछड़े वर्गों – जिनका सदियों से शोषण किया
गया है – को समाज के अन्य वर्गों
के समान स्तर पर लाने के लिए
संविधान में 'आरक्षण' का प्रावधान है।

स्वतंत्रता




लोगों को अपनी मर्जी से रहने, सोचने, प्यार करने,
प्रार्थना करने, बोलने, असहमति जताने, खाने,
कपड़े पहनने और काम करने की आजादी होनी चाहिए,
इसका ख्याल रखते हुए कि वे दूसरों को हानि न पहुंचाएं।

स्थिति और अवसर की समानता

संविधान गारंटी देता है कि:

लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर
कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

सरकार सामाजिक और आर्थिक समानता की
दिशा में कदम उठाएगी।



बंधुता

हम एक-दूसरे का भाई-बहन की तरह ख्याल रखेंगे।
हम भाषा, संस्कृति, भोजन, पोशाक और
पूजा के तरीकों में विविधता का सम्मान करेंगे।



संविधान की उपलब्धि

विविधता में एकता

भारत में **4,000** से अधिक समुदाय हैं जो रीति-रिवाजों, संस्कृति, भाषा, जाति, धार्मिक मान्यताओं, भोजन आदि में भिन्न हैं।





यूरोप: भाषा और संस्कृति
में भिन्नता के कारण
कई देशों में विभाजित।

इसी कारण से सोवियत
संघ भी टूट गया।



लेकिन इतनी विविधता के बावजूद

भारत एकजुट रहा है

क्योंकि

**हमारा संविधान
विविधता का
सम्मान करता है।**



संविधान की उपलब्धि

लोकतांत्रिक भारत

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले अधिकांश देश तानाशाही, सैन्य तख्तापलट, गृहयुद्ध के शिकार रहे हैं।

म्यांमार
थाईलैंड



पाकिस्तान
इंडोनेशिया

लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी
भारत लोकतांत्रिक बना हुआ है।



गरीबों के लिए संविधान

हर बच्चे को मुफ्त और अच्छी शिक्षा, हर नागरिक को सस्ती स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा की गारंटी

आजादी के बाद सरकार ने हर गांव में



स्कूल
खोला

स्वास्थ्य केंद्र
खोला



राशन व्यवस्था
शुरू की - गरीबों को
अनाज उपलब्ध
कराने के लिए।

किसानों के लिए संविधान

आज़ादी से पहले



सभी कृषि भूमि जमींदारों
और साहूकारों के
स्वामित्व में
कृषि तबाह – लाखों लोगों
की अकाल में मृत्यु

आज़ादी के बाद

किसानों को जमीन वितरित की गई;
बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई सुविधाएं, बिजली
और सस्ते बैंक ऋण उपलब्ध कराए गए।



किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कृषि
मंडियां स्थापित, जहां सरकार ने किसानों से फसल खरीदी।

युवाओं और श्रमिकों के लिए संविधान

आज़ादी से पहले



अंग्रेज़ों ने भारत के
उद्योग नष्ट कर दिए
फलते-फूलते शहर
बर्बाद कर दिए

आज़ादी के बाद

विशाल सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना,
लघु उद्योगों को बढ़ावा, बड़े पैमाने पर रोजगार निर्मिती;
उचित वेतन की गारंटी।



श्रमिकों की सुरक्षा
के लिए कानून:

- यूनियन बनाने का अधिकार
- भविष्य निधी
- 8 घंटे का कार्य दिवस
- पेंशन



संविधान की उपलब्धि

दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों
का सशक्तिकरण।



संविधान के कारण, सदियों से हाशिए पर
धकेले गए समुदायों के लोग शिक्षक, डॉक्टर,
इंजीनियर, वैज्ञानिक, उच्च अधिकारी,
न्यायाधीश, यहां तक कि मुख्यमंत्री,
और राष्ट्रपति भी बन पाए हैं।

मूल कर्तव्य

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता
की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना;

सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का
निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित
सभी भेदभाव से परे हो;

ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो
महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

हमारी सामासिक संस्कृति की
गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करें;

वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें;

पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें;

सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा का त्याग करें

इनका पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है।

शासकों के लिए महात्मा गांधी का जंतर:

“जब भी तुम्हें संदेह में हो कि क्या निर्णय लें, तो जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उसके लिए कितना उपयोगी होगा।”



संविधान का पालन
करने का अर्थ है
इस भावना का
सम्मान करना!

हमारे अधिकारों पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ...

“अनुभव हमें बताता है कि अधिकारों की रक्षा कानून द्वारा नहीं बल्कि समाज की सामाजिक और राजनैतिक चेतना द्वारा होती है। यदि समाज मौलिक अधिकारों का विरोध करता है, तो कोई कानून, कोई संसद, कोई न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं दे सकती।”



सामाजिक चेतना
ही हमारे अधिकारों
की गारंटी है।

आइए, समझें और प्रतिज्ञा करें



लोकतंत्र
का आरम्भ, मध्य और अंत
संविधान है,
यही है हमारे जीवन का आधार...

संविधान हमें देता है परिवर्तन लाने के लिए
असीम ऊर्जा और साहस...

संविधान ने ही हमें इंसान का दर्जा दिया है और एक
समतावादी समाज के निर्माण का मार्ग दिखाया है...

आइए हम संविधान से प्रेरणा लें और एक
मानवीय समाज बनाने
की दिशा में संविधान द्वारा
प्रकाशित इस खूबसूरत
रास्ते पर कंधे से कंधा
मिलाकर चलें...

